राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल विविध अपील सं.1801/2019

1. श्रीमती सुकना देवी उर्फ सुकी देवी उर्फ सुखी देवी पत्नी राजमल उर्फ राजू भाई, आयु लगभग 43 वर्ष, जाति रावल, निवासी अंबिका कॉलोनी, आबू रोड, राजस्थान।
2. कमलेश कुमार पुत्र राजमल उर्फ राजू भाई, आयु लगभग 23 वर्ष, जाति रावल, निवासी अंबिका कॉलोनी, आबू रोड, राजस्थान।
3. डिंपल कुमारी पुत्री राजमल उर्फ राजू भाई, आयु लगभग 20 वर्ष, जाति रावल, निवासी अंबिका कॉलोनी, आबू रोड, राजस्थान।
4. रीना कुमारी पुत्री राजमल उर्फ राजू भाई, आयु लगभग 10 वर्ष, अव्यस्क, जरिए प्राकृतिक माता श्रीमती सुकना देवी उर्फ सुकी देवी उर्फ सुखी देवी, राजमल उर्फ राजू भाई की विधवा, जो अपीलार्थी सं.1 भी है। जाति रावल, निवासी अंबिका कॉलोनी, अबू रोड, राजस्थान।
5. हस्तू देवी पत्नी करतार राम, आयु लगभग 65 वर्ष, जाति रावल, निवासी अंबिका कॉलोनी, आबू रोड, राजस्थान।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. जीतेन्द्र कुमार पुत्र मांगीलाल, आयु लगभग 45 वर्ष, जाति भाट, निवासी मायापुर मानलियावास, जिला अजमेर। (वाहन Rj01-Ga-9090 का चालक)
2. हनुमान माली पुत्र मोहन लाल, आयु लगभग 53 वर्ष, जाति गहलोत, निवासी लाडपुरा (रामलाल) गंगल, जिला अजमेर। (वाहन आरजे01-जीए-9090 का पंजीकृत स्वामी)
3. इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चतुर्थ तल, असरा बिल्डिंग, 182 वाटर फील्ड रोड, बांद्रा पश्चिम, मुंबई 400050 (वाहन आरजे01-जीए-9090 का बीमाकर्ता)

----प्रत्यर्थीगण

.....

अपीलार्थी(ओं) के लिए	:	श्री रवि पंवार।
प्रत्यर्थी(गण) के लिए	:	श्री आदित्य सिंघी।
		श्री एडी उज्ज्वल।

.....

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

13/05/2025

1. अपीलार्थी - दावेदार इस न्यायालय के समक्ष विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, आबू रोड ('अधिकरण') द्वारा दावा प्रकरण सं.108/2016 में पारित दिनांक 18.03.2019 के पंचाट की राशि में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थी-दावेदारों के पक्ष में 9,31,100/- रुपये की राशि का पंचाट जारी किया है।

2. तथ्य पहले। 07.12.2015 को लगभग 10:30 बजे, राजमल, जिसे राजू भाई के नाम से भी जाना जाता है, आयु 43 वर्ष, अपने दैनिक दिनचर्या के हिस्से के रूप में मंडार बस स्टैंड के पास अपनी दुकान पर मौजूद था और काम कर रहा था। उस भाग्य निर्णायक दिन और समय पर, प्रत्यर्थी सं.1 एक ट्रेलर (पंजीकरण संख्या आरजे01-जीए-9090) को उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चलाते हुए मंडार से रेवदर की ओर आ रहा था। इसके फलस्वरूप, यह पहले सड़क के किनारे खड़े एक स्थिर पिकअप ट्रक (पंजीकरण संख्या जीजे02-वीवी-6985) से टकराया। टक्कर के बावजूद, ट्रेलर नहीं रुका और मृतक की दुकान में आगे जा घुसा। दुर्घटना का प्रभाव इतना भयानक था कि

कई वाहन और पैदल यात्री इसकी चपेट में आ गए, परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। राजमल उर्फ राजू भाई राजमल के सिर में गंभीर चोटें आईं और उसे तुरंत पालनपुर अस्पताल ले जाया गया। उसकी चोटों की गंभीर स्थिति के कारण , उसे अहमदाबाद के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया , जहाँ उपचार के दौरान 08.12.2015 को उसने दम तोड़ दिया। मंडार पुलिस थाने में एफआईआर सं.149/2015 दर्ज की गई थी।

2.1. मृतक के विधिक उत्तराधिकारी (उसकी पत्नी, बच्चे और वृद्ध माता) होने के नाते अपीलार्थियों ने 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 44,05,000/- रुपये के प्रतिकर की मांग करते हुए एक दावा याचिका दायर की।

2.2. दुर्घटना के समय, राजमल स्वस्थ था और उसे कोई पूर्व-रोग या जानलेवा बीमारी नहीं थी। वह एक जनरल स्टोर चलाता था और एक सोसाइटी लिमिटेड फर्म में कमीशन एजेंट के रूप में काम करता था, जिससे उसे लगभग 15,000 रुपये प्रति माह की कमाई होती थी। उसका पूरा परिवार आर्थिक रूप से उस पर निर्भर था।

2.3 प्रत्यर्थी सं.1 व 2 ने, नोटिस प्राप्त होने के बावजूद, न तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही अधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए, जिससे उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

2.4. प्रत्यर्थी सं.3, यह स्वीकार करते हुए कि ट्रेलर बीमित था, अभिवाक् किया कि चालक के पास वैध लाईसेंस नहीं था और यह दावा किया कि यातायात नियमों का पालन

करते हुए ट्रेलर नियंत्रित गति से चलाया गया था , उसके द्वारा दायित्व से इंकार किया और इस दावे को खारिज करने की मांग की।

3. विद्वान अधिकरण ने चार विवाद्यक विरचित किए थे , जिनका हिंदी अनुवादित संस्करण नीचे दिया गया है:

"01. क्या प्रत्यर्थी/गैर-दावेदार सं.1, जितेंद्र कुमार ने दिनांक 07.12.2015 को लगभग सुबह 10:30 बजे, मंडार से रेवदर जाने वाली मुख्य सड़क पर ट्रेलर संख्या आरजे-01-जीए-9090 को तेज गति से तथा उपेक्षापूर्वक चलाते हुए , खड़े हुए पिकअप संख्या जीजे-02-वीवी-6985 को टक्कर मार दी, जिसके पश्चात मृतक राजमल उर्फ राजूभाई की दुकान में जा घुसा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, तथा इसके अतिरिक्त अन्य वाहनों और पैदल चलने वालों को टक्कर मारकर मौके पर ही एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी?

..... दावेदार

02. क्या मृतक राजमल उर्फ राजूभाई के विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते दावेदार , उक्त दुर्घटना में उसकी मृत्यु के कारण सभी गैर-दावेदारों से संयुक्तः एवं पृथकतः 44,05,000/- का प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार हैं?

..... दावेदार

03. क्या गैर-दावेदार सं-3 (बीमा कंपनी) अपने जवाब दावे के पैरा 1 से 8 में उठाई गई आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए दावेदारों को प्रतिकर देने के लिए दायी नहीं है ?

..... गैर-दावेदार सं-3

04. अनुतोष?"

4. अभिलेख पर की सामग्री का विश्लेषण करने के पश्चात् , विद्वान अधिकरण ने विवाद्यक सं.1 व 3 को दावेदारों के पक्ष में एवं प्रत्यर्थी -बीमा कम्पनी के विरुद्ध तथा विवाद्यक सं.2 व 4 को अंशतः दावेदारों के पक्ष में विनिश्चित किए। अधिकरण ने दावेदारों

को 9,31,100/-रुपए का प्रतिकर 10.02.2016 से निर्णय की तिथि तक 6 वार्षिक ब्याज की दर से प्रदान किए जाने का पंचाट जारी करते हुए याचिका दावा को आंशिक रूप से स्वीकार किया, साथ ही बीमा कंपनी (प्रत्यर्थी सं.3) को अधिकरण में उक्त राशि का मांगदेय ड्राफ्ट जमा करने का निर्देश दिया।

5. प्रतिकर की अपर्याप्तता से व्यथित होकर, दावेदारों ने अपील की है।

5.1. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा दिनांक 18.03.2019 के निर्णय द्वारा प्रदान किया गया प्रतिकर अत्यधिक अपर्याप्त है और अपीलार्थियों को हुए वास्तविक नुकसान को प्रतिबिंबित नहीं करता है। मृतक, जिसकी आयु 43 वर्ष थी, एक जनरल स्टोर व्यवसाय और एक सोसाइटी लिमिटेड फर्म के साथ एक निजी कमीशन एजेंट के रूप में 15,000/- रुपये प्रति माह कमा रहा था। इस आशय के असंविवादित मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के बावजूद, विद्वान अधिकरण ने बिना कोई ठोस कारण बताए या मृतक की आय की प्रकृति और दायरे का उचित मूल्यांकन किए, त्रुटिवश मासिक आय मात्र 5,122/- रुपये निर्धारित की।

5.2. अपीलार्थियों की ओर से यह भी दलील दी गई है कि विद्वान अधिकरण मृतक की वास्तविक भावी उपार्जन सामर्थ्य को ध्यान में रखने में विफल रहा। 43 वर्ष की आयु में, एक उद्यमी पृष्ठभूमि के साथ, मृतक 70 वर्ष की आयु तक, बढ़ी हुई आय की संभावनाओं के साथ, काम करना जारी रख सकता था। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की बढ़ी हुई आय की भावी संभावनाओं को ध्यान में न रखना और स्पष्ट विधिक हकदारी

के बावजूद, दाम्पत्य वंचन के लिए प्रतिकर देने में विफलता , इस निर्णय को अन्यायपूर्ण बनाती है।

5.3. उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि विद्वान अधिकरण ने मृतक पर परिवार की वास्तविक वित्तीय, भावनात्मक और नैतिक आश्रितता पर विचार नहीं किया। वह अपनी पत्नी, वृद्ध माँ और दो बच्चों - जिनमें से एक अव्यस्क है - के परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। अव्यस्क बच्चे को कम उम्र से ही प्यार , स्नेह, देखभाल और समर्थन से वंचित रखा गया है। बच्चों की भविष्य की शैक्षिक आवश्यकताओं और वृद्ध आश्रितों के चिकित्सा व्यय को भी अधिकरण ने निर्णय पारित करते समय उपेक्षा की।

5.4. यह भी तर्क दिया गया है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए की गई कटौती अत्यधिक है और स्थापित विधिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। यह विचार करते हुए कि मृतक अपने सम्पूर्ण परिवार का पालन कर रहा था , ऐसी अत्यधित कटौती अनुचित थी एवं प्रतिकर राशि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसके अतिरिक्त , अपीलार्थियों ने कथन किया कि उक्त कटौती , विधि के प्रतिकूल होते हुए, न्यूनतम होनी चाहिए थी, विशेष रूप से मृतक की एकमात्र जीविका-संचालक के रूप में भूमिका के परिप्रेक्ष्य में। इससे सीधे तौर पर प्रतिकर घटा हुआ और अन्यायपूर्ण हुआ है।

5.5. अंत में, उनकी दलील है कि 9,31,100/- रुपये की अधिनिर्णीत राशि मनमानी , यांत्रिक है और न्याय के उद्देश्यों को पूरा नहीं करती। तथ्यों और स्थापित कानून के आधार पर, युक्तियुक्त और न्यायोचित प्रतिकर 44,05,000/- रुपये से कम नहीं होगा। अतः अपील पंचाट में वृद्धि किए जाने पर विचार किए जाने योग्य है।

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी सं.3- बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता के साथ -साथ प्रत्यर्थी सं.1 व 2 (चालक और स्वामी) के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित पंचाट का समर्थन किया और तत्काल अपील को खारिज किए जाने की मांग की।

7. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान अधिवक्ताओं के प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं , जो कमोबेश अभिवचनों में दिए गए आधारों के समान ही हैं और मैंने मामले की पत्रावली का परिशीलन किया है। अब मैं उनके गुणों और अवगुणों पर विचार करूँगा और आगे की चर्चा और तर्क के आधार पर अपनी राय प्रस्तुत करूँगा।

8. विद्वान अधिकरण के विवाद्यक सं.1 व 3 पर दावेदारों के पक्ष में और प्रत्यर्थी - बीमा कंपनी के विरुद्ध दिए गए निष्कर्ष चुनौती के अधीन नहीं हैं।

9. अब, आइए हम पंचाट के सुसंगत अंश पर एक नज़र डालें, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है:

> *"16. <u>विवाद्यक सं.2</u>*
>
> *यह विवाद्यक प्रतिकर की मात्रा से संबंधित है, जिसे साबित करने का भार दावेदारों पर था। इस संबंध में, दावेदारों को यह साबित करना आवश्यक था कि मोटर वाहन दुर्घटना के कारण, दावेदार राजमल उर्फ राजूभाई की असामयिक मृत्यु के लिए प्रत्यर्थीगण से संयुक्ततः और पृथकतः 44,05,000/-रुपए की प्रतिकर राशि ब्याज सहित प्राप्त करने के हकदार हैं।*
>
> *17. चूँकि, विवाद्यक सं.1 की चर्चा और विश्लेषण में, दुर्घटना में आई चोटों के कारण मृतक राजमल उर्फ राजूभाई की मृत्यु होना सिद्ध हो चुका है, अतः प्रतिकर राशि के अवधारण के लिए, दुर्घटना के समय मृतक की आयु, मासिक/वार्षिक आय, और मृतक की आय पर आश्रितों की संख्या के महत्वपूर्ण घटकों पर चर्चा करना और उनका विश्लेषण करना विधिक रूप से न्यायोचित है।*

18. जहाँ तक दुर्घटना के समय मृतक-राजमल उर्फ राजूभाई की आयु का संबंध है, मृतक राजमल उर्फ राजूभाई के स्कूल छोड़ने के प्रमाण-पत्र की प्रति को प्रदर्श-70 के रूप में प्रदर्शित किया गया है और भारत सरकार द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रति को प्रदर्श-78 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, इन दोनों में ही मृतक राजमल उर्फ राजूभाई की जन्म तिथि 02.10.1972 उल्लिखित है। इस प्रकार, प्रस्तुत दस्तावेजों प्रदर्श-70 और 78 के आधार पर, दुर्घटना की तिथि पर मृतक राजमल उर्फ राजूभाई की आयु 43 वर्ष, 02 महीने और 05 दिन प्रतीत होती है। अतः, दुर्घटना की तिथि पर मृतक को 41 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में उपधारित किया जाता, और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी के मामले में, जो 2017 (2) एसीटीसी सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 1201 पर रिपोर्ट किया गया है, अधिकथित सिद्धांत के अनुपालन में, मृतक की निर्धारित आय पर 14 का गुणक लागू होना उपधारित किया जाता है।

19. जहाँ तक मृतक राजमल उर्फ राजूभाई की मासिक/वार्षिक आय का संबंध है, इस संबंध में, दावेदार/साक्षी ए.डब्ल्यू.1 श्रीमती सुकनादेवी ने अपनी याचिका और बयानों में यह कहा है कि मृतक व्यवसाय करके और एक सोसाइटी लिमिटेड में कमीशन एजेंट के रूप में काम करके 15,000/- की मासिक आय अर्जित करता था। इस तथ्य को साबित करने के लिए कि मृतक कपिल जनरल स्टोर के नाम से व्यवसाय कर रहा था, उसने प्रदर्श-101 से 207 तक के बिल/वाउचर आदि प्रस्तुत किए हैं और कई अन्य बिल तथा वाउचर प्रस्तुत किए हैं। हालाँकि, दावेदार ए.डब्ल्यू.1 श्रीमती सुकना ने, बीमा कंपनी द्वारा की गई अपनी प्रति-परीक्षा में, इस तथ्यात्मक सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने मृतक की फर्म का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, लाभ और हानि खाता, आय प्रमाण-पत्र, या आयकर रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है। दावेदार/साक्षी ने अपने पति के आवर्ती जमा खाते की एक प्रति, प्रदर्श-ए2, अपने पति के कमीशन एजेंट खाते के रूप में प्रस्तुत की है, जो स्वीकार्य नहीं है। अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो सीधे तौर पर मृतक की मासिक/वार्षिक आय को दर्शाता हो। इसलिए, यह तथ्य कि मृतक ने कपड़े का व्यवसाय करके और बैंक कमीशन एजेंट के रूप में काम करके आय अर्जित की थी, सिद्ध नहीं है। परिणामस्वरूप, मृतक राजमल उर्फ राजूभाई को एक आम मजदूर की तरह आय अर्जित करने वाला मानते हुए, वर्ष 2015 में राजस्थान सरकार द्वारा एक अकुशल मजदूर को देय 5,122/- की मासिक मजदूरी दर को मृतक की मासिक आय के रूप में अवधारित किया जाता है।

20. जहाँ तक मृतक की आय पर आश्रितों की संख्या का संबंध है, दावेदार/साक्षी ए.डब्ल्यू.1 श्रीमती सुकनादेवी मृतक की विवाहित पत्नी हैं, दावेदार सं.2 से 4, कमलेश, डिंपल और रीना, क्रमशः मृतक के स्कूल जाने वाले पुत्र और अवयस्क पुत्रियाँ हैं, तथा दावेदार सं.5, हस्तुदेवी, मृतक की माता हैं। अतः, प्रणय सेठी के मामले में, जो 2017 (2) एसीटीसी सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 1201 पर रिपोर्ट किया गया है, अधिकथित सिद्धांत के अनुसार, कुल पाँच दावेदारों को, अर्थात् दावेदारों को, मृतक की आय पर निर्भरता के लिए पात्र माना जाता है, और इस आधार पर, मृतक के व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्चों के मद के तहत आय हानि राशि की 1/4 भाग कटौती कानूनी रूप से उचित है। उक्त नजीर में अधिकथित दिशा-निर्देशों के अनुसार, चूँकि मृतक की आयु 40 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम थी तथा वह आयकरदाता नहीं था, दावेदार मृतक की भविष्य की संभावनाओं की हानि के लिए प्रतिकर के रूप में निर्धारित वार्षिक आय का 25 प्रतिशत प्राप्त करने के हकदार हैं।

21. यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि दुर्घटना के बाद मृतक राजमल उर्फ राजूभाई की चोटों के इलाज के संबंध में दस्तावेज प्रदर्श -34 से 66 तक प्रस्तुत और प्रदर्शित किए गए हैं। इन दस्तावेजों में, प्रदर्श-36 और 37, एच.सी.जी. कल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अहमदाबाद में इलाज के एवज में 42,469/- अग्रिम जमा की रसीदें हैं, जो उक्त अस्पताल के अनंतिम बिलों, प्रदर्श-38, 48 और 49 में शामिल राशि के लिए हैं। इसके अलावा, अन्य दवा के बिल प्रदर्श-40, 41, 42, 47 और 60 से 66 हैं, जिनकी कुल राशि 11,772/- है। प्रदर्श-39, 45 और 50 से 59 मृतक की पैथोलॉजिकल और ईसीजी रिपोर्ट, तथा दवा के चिरभोग इत्यादि हैं। इस प्रकार, दावेदार मृतक की मृत्यु से पहले हुए चिकित्सा उपचार व्यय के लिए 42,469 रुपए+ 11,772 रुपए = 54,241/- रुपए प्रतिकर के हकदार हैं। उपरोक्त चर्चा के आधार पर, प्रतिकर की गणना इस प्रकार की जाती है:

01- भविष्य की संभावनाओं की हानि के लिए अवधारित आय का 25 प्रतिशत, अर्थात् 1,281/- रुपए, मृतक की अवधारित मासिक आय 5,122/- रुपए में जोड़ने पर, मासिक आय 5,122 रुपए + 1,281 रुपए = 6,403/- रुपए हो जाती है। इसे 12 से गुणा करने पर वार्षिक आय 76,836/- रुपए प्राप्त होती है। मृतक की आयु के आधार पर वार्षिक आय में 14 का गुणक लगाने पर 76,836 x 14 = 10,75,704/-

रुपए प्राप्त होता है। इस राशि का 1/4 भाग, अर्थात् 2,68,926/- रुपए, मृतक के व्यक्तिगत व्यय के लिए घटाने के बाद, शेष राशि 8,06,778/- रुपए बचती है, जिसे दावेदार मृतक की आय की हानि और भविष्य की संभावनाओं के मद में प्राप्त करने के हकदार हैं।

02- चोटों के चिकित्सा उपचार पर उपगत व्यय के रूप में 54,241/-रुपए।

03- मृतक की असामयिक मृत्यु के कारण, दावेदार मृतक के प्रेम, सहयोग, मानसिक मनस्ताप, सम्पदा और अंतिम संस्कार व्यय की हानि के अंतर्गत 70,000/- रुपए की एकमुश्त राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। इस प्रकार, दावेदार मृतक राजमल उर्फ राजूभाई की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु के लिए प्रतिकर के रूप में 9,31,019/- रुपए की समेकित राशि, जो 9,31,100/- रुपए के बराबर है, प्राप्त करने के हकदार हैं। परिणामस्वरूप, विवाद्यक सं.2 आंशिक रूप से 9,31,100/- रुपए की प्रतिकर राशि के लिए दावेदारों के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

xxx xxxx xxxx

*23. विवाद्यक सं.**4** (अनुतोष)*

चूँकि विवाद्यक सं.1 दावेदारों के पक्ष में निर्णीत हो चुका है, विवाद्यक सं.2 पर निर्णय आंशिक रूप से दावेदारों के पक्ष में है और विवाद्यक सं .3 पर निर्णय प्रत्यर्थी बीमा कंपनी के विरुद्ध है, अतः दावेदार प्रत्यर्थीगण से कुल 9,31,100/- रुपए का प्रतिकर पाने के हकदार हैं, साथ ही याचिका दायर करने की तिथि से निर्णय की तिथि तक उक्त राशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज भी देय होगा। तदनुसार, दावा-याचिका आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

10. आक्षेपित पंचाट का परिशीलन करने से यह प्रकट होता है कि दावेदार -पत्नी के मृत-पति के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा बीमा पॉलिसियां खरीदी गई थीं , उनके बिल और वाउचर जो कि दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 101 से 207 हैं, को नकारने के लिए विद्वान अधिकरण द्वारा एक अत्यंत संकीर्ण और यांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया गया था , जिसने अपनी पूरी निष्ठा के साथ, हर वह दस्तावेज प्रस्तुत किया जो उसके पास यह

साबित करने के लिए उपलब्ध था कि उसका पति वास्तव में एक बीमा /निवेश एजेंट के रूप में कार्य कर रहा था।

11. यह काफी समझ से परे है कि यदि मृत-पति वास्तव में बीमा का काम नहीं कर रहा होता, तो वह विभिन्न बीमा पॉलिसियों के इन सभी वाउचरों और बिलों की प्रतियाँ अपने पास क्यों रखता, जो कि प्रकृति से पूरी तरह से निजी हैं। सामान्य क्रम में , या तो एजेंट के पास या उस व्यक्ति के पास जिसने बीमा पॉलिसी खरीदी थी या बीमा कंपनी के पास ये होती हैं। यह संभव नहीं है कि मृत कमीशन एजेंट की विधवा ग्रामीणों से उनकी प्रतियाँ एकत्र करने के लिए घर-घर जाकर उनकी तलाश करती, जब तक कि निस्संदेह उसका पति वास्तव में एक एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहा होता और , सामान्य क्रम में, समय-समय पर कमीशन का दावा करने के लिए अपने अभिलेख नहीं रखता, जैसे-जैसे उसके द्वारा बेची गई पॉलिसी के संबंध में प्रीमियम का भुगतान किया गया था/देय था।

12. इस पृष्ठभूमि में, विद्वान अधिकरण ने उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को अस्वीकार करने में महत्वपूर्ण अनियमितता की है और एक त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष दिया है कि मृत -पीड़ित एक कमीशन एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर रहा था और इस प्रकार उसे एक अकुशल मजदूर माना।

13. दावेदारों के विद्वान अधिवक्ता ने, न्यायालय के प्रश्न पर, यह प्रस्तुत किया कि मृतक स्नातक था, हालांकि उनका कहना है कि मात्र लापरवाही के कारण , उसकी

शैक्षणिक योग्यताओं का प्रमाण अभिलेख पर नहीं रखा जा सका , क्योंकि दावा याचिका का प्रारूप तैयार करते समय अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई अभिवचन नहीं किया गया था।

14. चाहे जो भी हो, भले ही वह स्नातक नहीं था, मेरा यह मत है कि अभिलेख पर इतनी पर्याप्त सामग्री मौजूद है जो यह संकेत देती है कि वह भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ-साथ आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक एजेंट के रूप में काम कर रहा था, जिसकी विभिन्न पासबुक भी साक्ष्य में प्रस्तुत की गई थीं , इसके अलावा उन विभिन्न बीमाधारकों द्वारा एलआईसी को भुगतान किए गए प्रीमियम के प्रमाण के अलावा जिन्होंने पॉलिसी खरीदी थी।

15. प्रत्यर्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि विधवा द्वारा प्रस्तुत वाउचर में मृतक पति का नाम नहीं था, निराधार है, क्योंकि वे बीमा कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं, और इसलिए, केवल इसलिए कि वाउचर में एजेंट का नाम उल्लिखित नहीं है, मृतक को दोषयुक्त नहीं माना जा सकता। इसलिए, इस साक्ष्य को इस आधार पर अस्वीकार करना कि दस्तावेजों में मृतक का नाम नहीं था, इस जमीनी हकीकत की अनदेखी करना था कि ऐसी एजेंसियों में कमीशन कैसे वितरित किया जाता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, कमीशन भुगतान बीमा कंपनी की आंतरिक प्रणालियों में दर्ज किए जाते हैं और ग्राहकों को जारी की जाने वाली पॉलिसी रसीदें आमतौर पर एजेंट के नाम को नहीं दर्शाती हैं। इसलिए, रसीदों/पासबुक पर मृतक का नाम न होना उनके साक्ष्यिक मूल्य को कम नहीं करता है।

16. सामान्यतः, कमीशन इस बात के संबंध में एलआईसी अभिलेख में की गई प्रविष्टियों पर आधारित होता है कि पॉलिसी बेचने में मुख्य रूप से कौन व्यक्ति माध्यम था। इस प्रकार, कमीशन रसीद के आधार पर भुगतान नहीं किया जाता है , बल्कि बीमा कंपनी के पास रखे गए अभिलेख के आधार पर भुगतान किया जाता है।

17. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मेरा यह मत है कि इस प्रकार विद्वान अधिकरण ने दावेदार/विधवा द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी साक्ष्य को अस्वीकार करने में अत्यधिक कठोर दृष्टिकोण अपनाया। उसके द्वारा प्रस्तुत बिल और वाउचर यह संकेत देते थे कि मृतक वास्तव में एक कमीशन एजेंट के रूप में कार्य में लगा हुआ था। इन दस्तावेजों को अपने पास रखना उस प्रकृति के काम के अनुकूल है जो आमतौर पर एक कमीशन एजेंट द्वारा किया जाता है। यह मानना काफी अवास्तविक है कि मृतक की विधवा तीसरे पक्षों से ऐसे विशिष्ट निजी दस्तावेजों को एकत्र करने में सक्षम होती , जब तक कि उसका पति वास्तव में उस क्षमता में काम नहीं कर रहा होता और अपने पेशेवर दिनचर्या के हिस्से के रूप में इन अभिलेखों को संधारित नहीं करता। आयकर रिटर्न या व्यावसायिक पंजीकरण की अनुपस्थिति के कारण इस साक्ष्य की उपेक्षा करने के अधिकरण के निर्णय ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में अनौपचारिक या अर्ध-औपचारिक व्यवसायों की व्यावहारिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर दिया, जहाँ व्यक्ति अक्सर विस्तृत वित्तीय दस्तावेजीकरण नहीं रखते हैं।

18. इसके अलावा, अधिकरण ने मृतक को 5,122 रुपए की मनमाना मासिक आय वाले एक अकुशल मजदूर के रूप में मानने में त्रुटि की , खासकर तब जब विधवा की

असंविवादित साक्ष्य और इसके विपरीत संकेत देने वाली दस्तावेजी सामग्री मौजूद थी। मृतक के काम की प्रकृति-एक एजेंट के रूप में काम करना-कौशल और वित्तीय संलिप्तता के उस स्तर को प्रदर्शित करती है जो एक अकुशल मजदूर के स्तर के असंगत है। अधिकरण साक्ष्य को, उसके पेशे की संरचित प्रकृति को, और ऐसे व्यवसायों में एक स्व-रोजगार व्यक्ति की आर्थिक वास्तविकता को उचित महत्व देने में विफल रहा।

19. कुल मिलाकर, ये त्रुटियाँ, जैसा कि ऊपर प्रगणित हैं, सामूहिक रूप से मृतक की उपार्जन सामर्थ्य के घोर कम आंकलन का परिणाम बनीं, और परिणामस्वरूप, एक अपर्याप्त प्रतिकर पंचाट का कारण बनीं। अतः यह मृतक के व्यवसाय और आय के एक यथार्थवादी और न्यायसंगत मूल्यांकन के आधार पर प्रतिकर के पुनर्मूल्यांकन की मांग करने वाला एक उपयुक्त मामला है।

20. मेरे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह समुचित समझा जाता है दावेदार के मृतक-पति की आय 12,000/-रुपए प्रतिमाह मानी जाए।

21. अधिकरण ने दाम्पत्य वंचन और अंतिम संस्कार व्यय के लिए 70,000/-रुपए की एकमुश्त राशि दिए जाने में और विधिक रूप से सुस्थापित सूत्र के अनुसार न देने में भी त्रुटि कारित की।

22. अधिनिर्णीत किए जाने वाला प्रतिकर निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

दुर्घटना/मृत्यु/ चोट की तिथि और एफआईआर संख्या सहित -	07.12.2015 149/2015
उल्लंघनकारी वाहन की प्रकृति - चाहे	बीमित

वह बीमित हो या नहीं	
मृतक की आयु -	43 वर्ष
साधारण चोट या यदि निःशक्तता स्थायी है तो कितना प्रतिशत-	--
दावेदारों की संख्या-	05
मृतक का पेशा और मासिक आय -	12,000/-
भविष्य की संभावनाएँ (40%) गणना करें-	(40% *12000 = 4,800) 12000 + 4800 = 16,800/-
व्यक्तिगत व्यय के लिए कटौती (1/4) गणना करें-	(1/4 *16,800 = 4,200) 16,800 – 4,200 = 12,600/-
वार्षिक आश्रितता-	12600 x 12 = 1,51,200/-
कुल आश्रितता की हानि (14 का गुणक) उल्लेख-	21,16,800/- दिनांक 18.03.2019 का पंचाट
5 दावेदारों के लिए दाम्पत्य वंचन (44,000रुपए × 5)	2,20,000/-
सम्पदा और अंतिम संस्कार व्यय की हानि-	16500+16500 = 33,000/-
कुल प्रतिकर-	23,69,800/-
अधिकरण द्वारा दिया गया प्रतिकर -	09,31,100/-
<u>उपर्युक्तानुसार देय प्रतिकर राशि -</u>	**14,38,700/-**

23. यदि कोई भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो उसका समायोजन करके, प्रतिकर की संवर्धित राशि, जिस पर विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रतिकर आवेदन दायर करने की तिथि (10.02.2016) से 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा, अपीलार्थियों को निम्नलिखित तरीके से भुगतान किया जाएगा :

1. श्रीमती सुकना देवी उर्फ सुकी देवी उर्फ सुखी देवी पत्नी राजमल उर्फ राजू भाई=50%

2.कमलेश कुमार पुत्र राजमल उर्फ राजू भाई =7%

3. डिंपल कुमारी पुत्री राजमल @ राजू भाई = 8%

4. रीना कुमारी पुत्री राजमल उर्फ राजू भाई , उम्र लगभग 10 वर्ष, अव्यस्क जरिए माता श्रीमती सुकना देवी उर्फ सुकी देवी उर्फ सुखी देवी =20%

5. हस्तू देवी पत्नी करतोर राम (मृतक की मां) = 15%

24. तदनुसार निपटारा किया गया।

25. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, भी निस्तारित किए जाते हैं।

(अरुण मोंगा),जे

78-/जितेंद्र/एसपी

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हां / नहीं।

अस्वीकरण**:** इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है **,** एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी